

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा/ब/22803/2016/

दिनांक : 18/5/2016

- (1) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक)  
शिक्षा विभाग
- (2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक/प्रारम्भिक)

**विषय :- राष्ट्र/राज्य/मंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2016**

**प्रसंग :- शासन का पत्रांक प018(2) शिक्षा-2/2014Pt जयपुर दिनांक 13.5.2016**

प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षकों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा समाज के प्रति की गई प्रशंसनीय सेवाओं के लिए उन्हें प्रति वर्ष राष्ट्र/राज्य/मंडल स्तर पर सम्मानित किया जाता है। राष्ट्र/राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान योजना में शिक्षा विभाग में अध्ययन अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत सुधार एवं प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय/राज्य/मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य छात्रों को केन्द्रित करते हुए शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर उच्च हो, शिक्षा में वृद्धि हो एवं छात्रों को सीधा लाभ प्राप्त हो सके और शिक्षकगणों को शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन के साथ-साथ शिक्षा प्रबन्धन में गहन रुचि सतत रूप से उत्पन्न होती रहे। राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर वरियता निर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं :-

## {1} सामान्य निर्देश

(अ) सम्मान हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष दक्षता रखने वाले समर्पित शिक्षकों के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किये जायें :-

- (1) स्थानीय समाज, अभिभावकों व विद्यार्थियों में प्रतिष्ठा प्राप्त।
- (2) नामांकन बढ़ाने में विशेष सफलता प्राप्त।
- (3) विद्यालय भवन निर्माण के साधन सुविधा बढ़ाने हेतु जनसहयोग प्राप्त करना।
- (4) उच्च कोटि का अध्यापन कार्य।
- (5) अध्ययन के क्षेत्र में नवीन विधियों व तकनीकी का प्रयोग।
- (6) उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम एवं उसमें गुणात्मक सुधार।
- (7) शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों/शोधों/आलेखों का प्रकाशन।

(ब) इस संबंध में प्राप्त प्राप्त प्रस्तावों को संलग्न शिक्षक सम्मान हेतु चयन सूक्ष्म अंक योजना के अनुसार देय अंकों के आधार पर वरियता बनाकर प्रथम बारह स्थान प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षकों का आधारभूत आंकलन (ग्राउण्ड ऐससमेन्ट) करवाया जावे। परिशिष्ट "2"

(स) आधारभूत आंकलन (ग्राउण्ड ऐससमेन्ट) के उपरान्त वरियता में प्रथम चार स्थान पर आने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव चार प्रतियों में सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित किये जावे।

(द) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए दो "स्पेशल अवार्ड" राष्ट्रीय स्तर पर देय है। इसके लिए विशेष योग्यजन शिक्षकों द्वारा विशेष योग्यजन छात्रों के लिए शिक्षा में अथवा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सामान्य शिक्षक जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, इस स्पेशल अवार्ड के लिए पात्र होंगे। इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरियता बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त शिक्षक का प्रस्ताव पांच प्रतियों में संबंधित उप निदेशक कार्यालय को प्रेषित किये जावे।

(य) प्रस्ताव तैयार करने में क्षेत्रीय भाषाओं के उत्कृष्ट शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया जावे।

- (र) पूर्व वर्षों में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों के लिए राष्ट्र सम्मान हेतु प्रस्ताव तैयार नहीं किये जावें।
- (ल) प्रस्तावों की समीक्षा कर सभी प्रस्ताव, उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को तीन प्रतियों में एवं उप निदेशक (प्रारम्भिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समयबद्ध पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इस में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावे।
- (व) उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) का दायित्व है कि वह अपने मंडल के प्रस्ताव अनिवार्यतः निर्धारित समय में निदेशालय को उपलब्ध कराये।

## {2} जिला चयन समिति

जिला स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2) प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
(3) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त) (मंडल अधिकारी द्वारा मनोनीत किये जाने हैं)	सदस्य (कोई दो)

चयन समिति के गठन में निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखा जावें :-

- जिला स्तरीय चयन समिति में ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को मनोनीत नहीं किया जाए जिसका नाम सम्मान हेतु विचारणीय है।
- जिला स्तरीय चयन समिति का गठन उपरोक्तानुसार ही होना चाहिए। इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
- मंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा व जांच करने का कार्य सम्बन्धित उप निदेशक का ही है।

## {3} परिशिष्ट

- (अ) राष्ट्र/राज्य/मण्डल स्तरीय सम्मान के लिए शिक्षक की सिफारिश करने हेतु प्रपत्र की एक प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।
- (ब) प्रपत्र के भाग क,ख एवं ग की पूर्तियां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, पढ़ाए जाने वाले विषयों के परीक्षा परिणाम, विद्यालय का परीक्षा परिणाम, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की टिप्पणियां आदि स्त्रोंतो से की जाए। इसके साथ सभी सूचनायें, प्रशंसा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, प्रकाशित पुस्तकों/लेख/साहित्य इत्यादि की पुष्टि के लिए अभिलेख संलग्न किये जाएं।  
(परिशिष्ट-3)
- (स) प्रपत्र के भाग "क" के कॉलम संख्या-13 मूल सेवा रिकार्ड का है। इसके भाग की सभी पूर्तियां भी करनी है। सेवा विवरण परिशिष्ट-4 में अंकित करना है।
- (द) प्रपत्र के भाग "घ" में जिला चयन समिति की सिफारिश की जाए इस पर जिला चयन समिति के अध्यक्ष सहित सभी चारों सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।
- (य) शिक्षक द्वारा अर्जित योग्यताओं का विवरण परिशिष्ट-5 में अंकित किया जाये।

- (र) शिक्षक से किसी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जाए और न ही सम्बन्धित को यह बताने की आवश्यकता है कि उनका नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया जा रहा है। अनुशंसा नितांत निष्पक्ष और न्यायोचित होनी चाहिए।
- (ल) प्रपत्र के सभी भाग क, ख, ग एवं घ तैयार करने में पूर्णतया गोपनीयता बरती जायें।
- (व) विशेष शिक्षा में योगदान। (परिशिष्ट-12)

#### {4} पात्रता


- (अ) इस सम्मान हेतु प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही पात्र हैं।
- (ब) राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक पात्र हैं, परन्तु राष्ट्र स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए मात्र प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत शिक्षक ही पात्र माने जायेंगे।
- (स) जिन शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में चली एवं वे दण्डित हुए हैं अथवा वर्तमान में विचाराधीन हैं तो वे इस सम्मान हेतु अपात्र हैं।
- (द) उन्हीं शिक्षकों के प्रस्ताव अनुशंसित किये जावें जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष विद्यालय में शिक्षण कार्य किया हों।
- (य) सामान्यतः सेवानिवृत्त हो जाने पर शिक्षक राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, किन्तु जिस वर्ष सम्मान दिया जाना है, उस वर्ष में कम से कम 4 माह तक अर्थात् 30, अप्रैल तक कार्य करने वाले शिक्षक के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और प्रस्ताव अनुशंसित किए जा सकते हैं।
- (र) जिन शिक्षकों के प्रस्ताव गत वर्ष अथवा पहले भेजे गये थे, यदि वे अब भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उन पर पुनः विचार किया जा सकता है और पुनः प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसित किए जा सकते हैं।

#### {5} सेवा अवधि

- (अ) मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव, जबकि प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के लिए 20 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है। यहां यह ध्यान रखा जावे कि शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक "गत पांच वर्षों में से तीन वर्ष विद्यालय में शिक्षण कार्य किया हो।"
- (ब) समेकित शिक्षा (विशेष योग्यजनों के लिए शिक्षा) को उन्नत करने वाले शिक्षकों के लिए 10 वर्ष तथा संस्था प्रधानों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है।
- (स) जिस वर्ष ~~के लिए~~ सम्मान दिया जाना है उसके गत वर्ष के 31, दिसम्बर, तक का वांछित शिक्षण अनुभव पूर्ण होना आवश्यक है।

#### {6} महिला शिक्षक

महिला शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों में नियमानुसार प्राथमिकता दी जावे।



[7] नामांकन अभिवृद्धि

छात्रों के नामांकन अभिवृद्धि हेतु उत्प्रेरण की दृष्टि से उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जावे, जिन्होंने एक शैक्षिक सत्र में छात्र/छात्रा नामांकन में सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। नामांकन अभिवृद्धि का अभिलेख पूर्णरूप से संलग्न होना चाहिए। इसमें महिला शिक्षकों द्वारा, जो पिछड़ी जाति के क्षेत्र में कार्यरत हो, नामांकन, साक्षरता, परिवार कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जावे।

[8] परीक्षा परिणाम

- (अ) परीक्षा परिणाम गत पांच वर्षों के अंकित किये जाये।
- (ब) शिक्षक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के तथा संस्था प्रधान का, विद्यालय का समग्र परीक्षा परिणाम ही मान्य हैं। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जावे, केवल मुख्य परीक्षा का परिणाम शामिल करें।
- (स) एस.यू.पी.डब्ल्यू/कला शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा/शारीरिक शिक्षा विषयों के गृह परीक्षा/बोर्ड परीक्षा परिणाम अमान्य हैं।
- (द) शिक्षक की परीक्षा परिणामों का उल्लेख प्रपत्र के भाग "क" की क्रम संख्या-13 के कॉलम-8 तथा भाग "ख" के क्रम संख्या-17 में विशेष रूप से करें। इसकी पुष्टि के लिए अधिकृत अधिकारी का प्रमाणित किया हुआ विवरण परिशिष्ट-6 में अंकित करें।
- (य) शारीरिक शिक्षकों के प्रकरणों में विभिन्न स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में गत पांच वर्षों में रही उपलब्धि के अंक योजनाओं के अनुसार अंक दिये होंगे। (परिशिष्ट-10)

[9] विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

जिला स्तर पर चयनित कर अनुशंसित किए जाने वाले शिक्षकों के सेवाभिलेखों की बहुत सावधानीपूर्वक विस्तृत जांच की जावे। अनुशंसित किये जाने वाले शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच या कानूनी कार्यवाही पूर्व में ना चली है तथा ना ही दण्ड दिया गया हो और ना ही वर्तमान में विचारधीन है का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक की पंजिका के साथ परिशिष्ट-7 के अनुसार संलग्न किया जावे। इसी प्रकार गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए भी संस्था के सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिशिष्ट-8 के अनुसार संलग्न किया जावे।

[10] शिक्षक का फोटो

शिक्षक के प्रत्येक प्रपत्र के भाग "क" के ऊपर हाल ही के पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटों चिपकानी है। इसके अलावा एक फोटो लिफाफे में अलग से संलग्न करें। फोटो के पिछले भाग में शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि, पूरा पता अंकित करना है। फोटों 6 माह से पुराना नहीं हो।

[11] वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

- (अ) प्रत्येक शिक्षक को पांच वर्षों के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर अंक प्रदान किये जावे।
- (ब) शिक्षकों एवं वरिष्ठ शिक्षकों (वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक) के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तावों के साथ संलग्न करने हैं एवं व्याख्याताओं और संस्था प्रधानों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन की स्थिति निदेशालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर तदनुसार अंक प्रदान करने हैं।
- (स) गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर संस्था सचिव से प्रति वर्ष का समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा में से किसी एक स्केल में प्राप्त कर परिशिष्ट-9 के अनुसार संलग्न करना है।

### {12} जनसहयोग

- (अ) शिक्षक द्वारा मात्र अपने कार्यकाल के दौरान जिस विद्यालय में पदस्थापित रहे है केवल उन्ही विद्यालयों के लिए ही जनसहयोग से कराये गये कार्य ही मान्य हैं।
- (ब) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जनसहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- (स) एक ही भवन/खेल मैदान अथवा अन्य प्रकार की जनसहयोग के लिए एक से अधिक शिक्षक को सम्मानित किये जाने की अनुशंसा नहीं की जावे।
- (द) सामग्री/नकद प्राप्ति का प्रमाण-पत्र दानदाता द्वारा ही देय, जो संस्था प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा और निर्माण कार्य में लागत का प्रमाण-पत्र राजकीय सेवा/स्थानीय निकाय में कार्यरत अभियन्ता (कम से कम कनिष्ठ अभियन्ता स्तर) द्वारा देय ही मान्य होगा। स्थाई सामग्री (Permanant Artical) का स्टॉक एन्ट्री का विवरण अंकित करें। तथा स्टॉक रजिस्टर की फोटो प्रति भी संलग्न करें।
- (य) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक की जनसहयोग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-11 में अंकित करना है।

### {13} ग्राउन्ड एसेसमेन्ट

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) अपने क्षेत्राधिकार से प्राप्त प्रपत्रों की वरियता बनाकर प्रथम बारह स्थान पर आने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षको का ग्राउन्ड एसेसमेन्ट एक समिति के द्वारा करवायेंगे। उक्त समिति का गठन अपने-अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जावे :-

- |  |         |
|--|---------|
| (1) जिला शिक्षा अधिकारी                                  | अध्यक्ष |
| (2) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी                         | सदस्य   |
| (3) एक प्रतिनिधि डाइट से जो वरिष्ठ व्याख्याता स्तर का हो | सदस्य   |

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति सम्मान हेतु प्राप्त प्रकरण में शिक्षक द्वारा जिन विद्यालयों/संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य किए गए है, उन विद्यालयों/संस्थाओं का दौरा करने जायेगी। समिति विद्यालयों/संस्थाओं के छात्र/छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों, संस्था प्रधानों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करेगी, शिक्षक अभिभावक परिषद से मिलकर परिषद के कार्यों में सम्बन्धित शिक्षक की भूमिका का पता लगाकर अंक प्रदान करेगी। अनुशासन की स्थापना, नामांकन व ठहराव, जन सहयोग, राष्ट्रीय विकास कार्यों में शिक्षक योगदान का भी एसेसमेन्ट करेगी। समग्र रूप से संबंधित शिक्षक द्वारा शैक्षिक, पर्यावरण समुन्नत व स्वस्थ स्वरूप देने की दशा में किए गए प्रयासों को दृष्टि में रखकर अंक प्रदान किये जावें। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। ये अंक परिशिष्ट--2 के अनुसार दिये जाये।

### {14} पंचांग

शिक्षक सम्मान से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए समयबद्ध निष्पादन के लिए निम्नानुसार पंचांग निर्धारित किया गया है :

- |   |              |
|---|--------------|
| (1) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रकरण तैयार कर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारी को उपलब्ध कराना। | 10 जून, 2016 |
| (2) उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना।         | 15 जून, 2016 |

- (3) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के द्वारा प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना। 20 जून, 2016
- (4) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकरणों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना। 20 जून, 2016

इस पत्र में वर्णित तिथियों तक पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रूचि के साथ कार्य सम्पादित करने वाले शिक्षकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। सम्मान हेतु अनुशंसित किये जाने वाले प्रकरणों में पूर्णतः गोपनीयता बरती जाये। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक को तथा उप निदेशकों द्वारा अपने-अपने निदेशकों को भिजवाये जाने वाले प्रस्ताव सील बन्द पैकेट में संबंधित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवाये। यह ध्यान रहे की प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में शिक्षकों के नाम अंकित न करें बल्कि उनकी सूची मूल लिफाफे में ही रखें

इस बात का विशेष ध्यानरखा जावे कि आवश्यक समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण-पत्रादि क्रमानुसार ही संलग्न किये जावे।

### मंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान

मंडल स्तरीय सम्मान समारोह माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सम्मिलित रूप से गौधी जयन्ती दिनांक 2/10/2016 को आयोजित होगा। इसके नॉडल अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक) रहेंगे। मंडल स्तर पर उन्हीं शिक्षकों का चयन किया जाये जिन्होंने कम से कम 50 अंक प्राप्त किये हों एवं जिन्हें राज्य/मंडल स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया हो।

ध्यान रहे कि प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों की नियन्त्रण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत जांच कर प्रत्येक शिक्षक का प्रस्ताव परिशिष्ट-1 से 12 तक में प्रेषित करेंगे।

- संलग्न :- (1) तीन सूक्ष्म अंक योजनाएँ  
(2) परिशिष्ट 1 से 12 तक



(बी.एल.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## शिक्षक सम्मान हेतु चयन के सूक्ष्म अंक योजना

सामान्य शिक्षक :-

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक  $1 \times 5 = 5$  अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी०एड०/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के) (सामान्य शिक्षक)	60 अंक
(2)(i)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम)	
	100 प्रतिशत	अंक 12 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 10 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 08 प्रति वर्ष

नोट :- (1) 80 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।  
(2) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट अंक  $12 \times 5 = 60$   
(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

(2)(ii)	परीक्षा परिणाम उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों हेतु (गत पाँच वर्षों का) (केवल कक्षा 5 अथवा 8 का परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा)	60 अंक
	100 प्रतिशत छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 12 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 10 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष

नोट :- (1) 80 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।  
(2) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट  $12 \times 5 = 60$   
(3) शिक्षकों हेतु अपनी कक्षाओं का तथा संस्था प्रधान हेतु विद्यालय का परीक्षा परिणाम लागू होगा।  
(4) सत्र 2010-11 से 2011-12 तक कक्षा 8 एवं 5 के लिए तत्समय विद्यमान कक्षा क्रमोन्नती नियम लागू होंगे।  
(5) डाईट द्वारा अन्य दल गठित कर उक्त ग्रेडिंग परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण, समीक्षा करने के पश्चात् इसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा।



(3)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत पाँच वर्षों के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट  $1 \times 5 = 05$  है।

(4)	जन सहयोग (गत पाँच वर्षों का)	10 अंक
	15 लाख रुपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रुपये से ऊपर एवं 15 लाख रुपये तक	अंक 07
	05 लाख रुपये से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक	अंक 05
	03 लाख रुपये से ऊपर एवं 05 लाख रुपये तक	अंक 03

- नोट :- (1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चुका है, तो उसी जनसहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नहीं माना जावे।
- (2) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- (3) पुरस्कार हेतु प्रस्तावित शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन-जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे, उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।
- (4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु कराये गये जनसहयोग यथा कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, खेलमैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिसर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया गया है। जिसका कोई शैक्षणिक प्रयोजन से नहीं हो मान्य नहीं किया जावे।

(5)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पाँच वर्षों की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट  $1 \times 5 = 05$  है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पाँच वर्षों का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष




नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये, बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा दिया गया हो।

(7)	ग्राउन्ड एसेसमेन्ट	10 अंक
-----	--------------------	--------

शिक्षक का नाम ..... पद .....

विद्यालय .....

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक
1	5 वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकास कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
योग :-		10	



# शिक्षक सम्मान हेतु चयन के सूक्ष्म अंक योजना

शारीरिक शिक्षक :-

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर अथवा स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 0.5

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक  $1 \times 5 = 5$  अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी०एड०/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

अथवा

(1)	खेलकूद भागीदारी का रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 5.0
	राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 3.0
	राज्य स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 2.0

नोट :- अधिकतम क्रेडिट अंक 5 अंक

(2)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत पाँच वर्षों के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट  $1 \times 5 = 05$  है।

(3)	जन सहयोग (गत पाँच वर्षों का)	10 अंक
	15 लाख रुपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रुपये से ऊपर एवं 15 लाख रुपये तक	अंक 07
	05 लाख रुपये से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक	अंक 05
	03 लाख रुपये से ऊपर एवं 05 लाख रुपये तक	अंक 03

नोट :-

- (1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चुका है तो उसी जनसहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नहीं माना जावे।
- (2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- (3) पुरस्कार के लिए प्रस्तावित शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन-जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग ही मान्य किया जावे।
- (4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु कराये गये जनसहयोग यथा कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेलमैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याउ, शौचालय आदि तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और शिक्षण कार्य

के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिषर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो मान्य नहीं किया जावे।

(4)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पाँच वर्षों की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट  $1 \times 5 = 05$  है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(5)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पाँच वर्षों का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	जिला स्तर	अंक 0.50
	खण्ड स्तर	अंक 0.25

नोट :- 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट  $1 \times 5 = 05$  है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा दिया गया हो।

(6)	शारीरिक शिक्षकों के द्वारा छात्रों को खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि	60 अंक
	राष्ट्रीय स्तरीय	12 अंक प्रति वर्ष
	राज्य स्तरीय	08 अंक प्रति वर्ष
	जिला स्तरीय	05 अंक प्रति वर्ष

नोट :- (1) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट अंक  $12 \times 5 = 60$  है  
 (2) यदि एक छात्र द्वारा एक ही वर्ष में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किये जाते हैं तो उसे उच्चतम स्तर पर प्राप्त उपलब्धि/प्रमाण पत्र आदि के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।



(7)	ग्राउन्ड एसेसमेन्ट	10 अंक
-----	--------------------	--------

शिक्षक का नाम ..... पद .....

विद्यालय .....

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
योग :-		10	



# शिक्षक सम्मान हेतु चयन के सूक्ष्म अंक योजना

विशेष योग्यजन शिक्षक एवं विशेष योग्यजन संबंधित संस्थान में कार्यरत सामान्य शिक्षक :-

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोट :- कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक  $1 \times 5 = 5$  अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी०एड०/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग-अलग अंक दिये जाने हैं।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के) (सामान्य शिक्षक)	40 अंक
(2)(i)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम)	
	100 प्रतिशत	अंक 08 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 05 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 03 प्रति वर्ष
	70 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	अंक 01 प्रति वर्ष

नोट :- (1) 70 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।  
(2) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट अंक  $08 \times 5 = 40$   
(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

(2)(ii)	परीक्षा परिणाम उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों हेतु (गत पाँच वर्षों का) (केवल कक्षा 5 अथवा 8 का परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा)	40 अंक
	100 प्रतिशत छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 05 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 03 प्रति वर्ष
	70 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	अंक 01 प्रति वर्ष

*(Handwritten mark)*

- नोट :-
- (1) 70 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
  - (2) 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 08X5=40
  - (3) शिक्षकों हेतु अपनी कक्षाओं का तथा संस्था प्रधान हेतु विद्यालय का परीक्षा परिणाम लागू होगा।
  - (4) सत्र 2010-11 से 2011-12 तक कक्षा 8 एवं 5 के लिए तत्समय विद्यमान कक्षा क्रमोन्नती नियम लागू होंगे।
  - (5) डार्ट द्वारा अन्य दल गठित कर उक्त ग्रेडिंग परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण, समीक्षा करने के पश्चात् इसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(3)	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (गत पाँच वर्षों के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है।

(4)	जन सहयोग (गत पाँच वर्षों का)	10 अंक
	15 लाख रुपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रुपये से ऊपर एवं 15 लाख रुपये तक	अंक 07
	05 लाख रुपये से ऊपर एवं 10 लाख रुपये तक	अंक 05
	03 लाख रुपये से ऊपर एवं 05 लाख रुपये तक	अंक 03

- नोट :-
- (1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चुका है तो उसी जनसहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नहीं माना जावे।
  - (2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।
  - (3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन-जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्हीं विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे। जन सहयोग गत 5 वर्षों में किया गया ही मान्य होगा।
  - (4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में उपयोग हेतु कराये गये जनसहयोग यथा कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेलमैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याउ, शौचालय आदि तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिषर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता जो शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो मान्य नहीं किया जावे।

(5)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पाँच वर्षों की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष

राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतिशेगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पाँच वर्षों का)	05 अंक
राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
जिला स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :- 5 वर्षों से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सामान्य मानदण्ड - निम्नलिखित प्रयास विशेष शिक्षा में योगदान की श्रेणी में आता है :-	20 अंक
विशेष योग्यजन बच्चों के नामांकन में वृद्धि	अंक 1.00 प्रति वर्ष
विशेष योग्यजन छात्रों को उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग	अंक 1.00 प्रति वर्ष
विशेष शिक्षा के लिए आयोजित संगोष्ठी/सेमीनार/अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था/अन्य सह-शैक्षिक गतिविधि आयोजन में विशिष्ट योगदान। आदि में भाग लेना	अंक 1.00 प्रति वर्ष
विशेष योग्यजन छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह समाज में स्थान दिलाने हेतु प्रचार/प्रसार	अंक 1.00 प्रति वर्ष

- नोट :-
- (1) 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक 20 है।
  - (2) अध्यक्ष स्वयं विशेष योग्यजन है एवं विशेष योग्यजन छात्रों को ही पढाते है उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जावे।
  - (3) उपरोक्त प्रयासों के समर्थन में किसी भी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र को नियन्त्रण अधिकारी/जिशिअ से प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
  - (4) किसी भी एक प्रयास के लिए प्रत्येक वर्ष में 1.0 अंक देय होगा।
  - (5) वर्षवार सूचना परिशिष्ट -12 में प्रस्तुत करनी होगी।

(8) आधारभूत आंकलन (ग्राउन्ड एसेमेन्ट)	10 अंक
---------------------------------------	--------

शिक्षक का नाम ..... पद .....

विद्यालय .....

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यों में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
योग :-		10	





## संलग्न प्रपत्रों की सूची

परिशिष्ट-1	जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
परिशिष्ट-2	ग्राउन्ड ऐसेसमेंट समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
परिशिष्ट-3	सम्मान हेतु शिक्षक की सिफारिश करने के लिए प्रपत्र
परिशिष्ट-4	शिक्षक का सेवा विवरण
परिशिष्ट-5	शिक्षक का शैक्षिक रिकार्ड
परिशिष्ट-6	शिक्षक का परीक्षा परिणाम
परिशिष्ट-7	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र
परिशिष्ट-8	गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सम्बन्धी विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण पत्र
परिशिष्ट-9	गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन
परिशिष्ट-10	छात्र छात्राओ की खेलकूद उपलब्धियां (शा0शि0 के लिए)
परिशिष्ट-11	जनसहयोग का प्रमाण पत्र
परिशिष्ट-12	विशेष शिक्षा में योगदान

### परिशिष्ट के अन्त में संलग्न प्रपत्र

क्र०स०	वर्ग	प्रलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या
<b>शैक्षिक रिकार्ड</b>			
1	माध्यमिक	अंक तालिका	
2	माध्यमिक	प्रमाण पत्र	
3	उच्च माध्यमिक	अंक तालिका	
4	उच्च माध्यमिक	प्रमाण पत्र	
5	स्नातक ( )	अंक तालिका	
6	स्नातक ( )	प्रमाण पत्र	
7	स्नातकोत्तर ( )	अंक तालिका	
8	स्नातकोत्तर ( )	प्रमाण पत्र	
9	प्रशैक्षिक ( )	अंक तालिका	
10	प्रशैक्षिक ( )	प्रमाण पत्र	
<b>परीक्षा परिणाम</b>			
11	2010-2011	संस्था प्रधान द्वारा देय	
12	2011-2012	संस्था प्रधान द्वारा देय	
13	2012-2013	संस्था प्रधान द्वारा देय	
14	2013-2014	संस्था प्रधान द्वारा देय	
15	2014-2015	संस्था प्रधान द्वारा देय	
<b>वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन</b>			
16	2010-2011		
17	2011-2012		
18	2012-2013		
19	2013-2014		
20	2014-2015		
क्र०स०	वर्ग	प्रलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या
<b>जन सहयोग</b>			
21	2010-2011		
22	2011-2012		

23	2012-2013		
24	2013-2014		
25	2014-2015		
<b>प्रकाशन कार्य</b>			
26	2010-2011		
27	2011-2012		
28	2012-2013		
29	2013-2014		
30	2014-2015		
<b>वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता</b>			
31	2010-2011		
32	2011-2012		
33	2012-2013		
34	2013-2014		
35	2014-2015		
<b>राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान</b>			
36	2010-2011		
37	2011-2012		
38	2012-2013		
39	2013-2014		
40	2014-2015		
<b>विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान</b>			
41	2010-2011		
42	2011-2012		
43	2012-2013		
44	2013-2014		
45	2014-2015		
46	विशेष शिक्षा के लिए प्राप्त विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/उपाधि		
47	विशेष शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों का प्रमाण पत्र		
48	शारीरिक शिक्षकों के प्रकरणों में विभिन्न स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में गत पाँच वर्षों में रही उपलब्धियों का विवरण		
49	बड़े लिफाफे में शिक्षक का पासपोर्ट फोटो		
50	अन्य कोई प्रमाण पत्र		

**प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि (1) परिशिष्ट 1 से 12 तक संलग्न है, (2) तालिका के अनुसार जिन प्रलेखों के अंक देय हैं, वे संलग्न हैं, (3) तालिका की जिस क्रम संख्या का प्रलेख नहीं है, उसके सामने पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गई है एवं (4) समस्त प्रलेखों की जांच करली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर  
जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)

राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2016

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन  
(सामान्य शिक्षकों हेतु)

मण्डल : .....

जिला : .....

- (1) शिक्षक का नाम .....
- (2) पद .....
- (3) पदस्थापन स्थान .....
- (4) जन्म तिथि (अंकों में)  
(शब्दों में) .....
- (5) प्रथम नियुक्ति तिथि .....
- (6) सेवा विवरण (31.12.2015 को)  
(अ) कुल सेवा अवधि ..... वर्ष ..... माह  
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि ..... वर्ष ..... माह  
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि ..... वर्ष ..... माह
- (7) गत 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव ..... वर्ष ..... माह

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 05

क्र०स०	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ( )			
4	स्नातकोत्तर ( )			
5	प्रशैक्षिक ( )			
योग				

(2) परीक्षा परिणाम (सामान्य शिक्षक)

अंक 60

क्र०स०	वर्ष	प्रतिशत	प्रदत्त अंक
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		
योग			

## (3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 05

क्र०स०	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		
योग			

## (4) जन सहयोग

अंक 10

क्र०स०	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2010-2011			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

## (5) प्रकाशन/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता

अंक 5

क्र०स०	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

## (6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र०स०	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

## (7) ग्राउण्ड एसेसमेंट

अंक 10

ग्राउण्ड एसेसमेंट में प्रदत्त अंक	
-----------------------------------	--

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7) .....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर



राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2016

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

(विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु विशेष सम्मान)

मण्डल : .....

जिला : .....

- (1) शिक्षक का नाम .....
- (2) पद .....
- (3) पदस्थापन स्थान .....
- (4) जन्म तिथि (अंकों में) .....  
(शब्दों में) .....
- (5) प्रथम नियुक्ति तिथि .....
- (6) सेवा विवरण (31.12.2015 को)  
(अ) कुल सेवा अवधि .....वर्ष .....माह  
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि .....वर्ष .....माह  
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि .....वर्ष .....माह
- (7) गत 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव .....वर्ष .....माह

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 05

क्र०सं०	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ( )			
4	स्नातकोत्तर ( )			
5	प्रशैक्षिक ( )			
योग				

## (2) परीक्षा परिणाम

अंक 40

क्र०सं०	वर्ष	प्रतिशत	प्रदत्त अंक
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		
योग			

## (3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 05

क्र०सं०	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		
योग			

## (4) जन सहयोग


अंक 10

क्र०सं०	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2010-2011			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

## (5) प्रकाशन/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता

अंक 5

क्र०सं०	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				



## (6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र०सं०	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

## (7) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

अंक 20

क्र०सं०	वर्ष	किये गये प्रयास का विवरण	प्रदत्त अंक
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		
योग			

नोट : सूक्ष्म अंक योजना के बिन्दु संख्या 7 में वर्णित प्रयासों में से किसी एक प्रयास के करने पर वर्ष विशेष में 1 अंक देय होगा।

## (8) ग्राऊण्ड एसेसमेंट

अंक 10

ग्राऊण्ड एसेसमेंट में प्रदत्त अंक	
-----------------------------------	--

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7+8)

.....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर





राष्ट्र/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2016

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन  
(शारीरिक शिक्षकों हेतु)

मण्डल : .....

जिला : .....

- (1) शिक्षक का नाम .....
- (2) पद .....
- (3) पदस्थापन स्थान .....
- (4) जन्म तिथि (अंकों में) .....
- (शब्दों में) .....
- (5) प्रथम नियुक्ति तिथि .....
- (6) सेवा विवरण (31.12.2015 को)
- (अ) कुल सेवा अवधि .....वर्ष .....माह
- (ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि .....वर्ष .....माह
- (स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि .....वर्ष .....माह
- (7) गत 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव .....वर्ष .....माह

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 05

क्र०स०	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ( )			
4	स्नातकोत्तर ( )			
5	प्रशैक्षिक ( )			
योग				

अथवा

(1) खेलकूद भागीदारी का रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 05

क्र०स०	वर्ष	भागीदारी का स्तर	प्रदत्त अंक
1		अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	
2		राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	
3		राज्य स्तर पर भागीदारी	

(2) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 05



क्र०स०	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		
योग			

(3) जन सहयोग

अंक 10

क्र०स०	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2010-2011			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

(4) प्रकाशन/वार्ता/शोध कार्य/क्रिडा प्रतियोगिता

अंक 5

क्र०स०	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

(5) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र०स०	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

(6) शारीरिक शिक्षकों के द्वारा छात्रों को खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण-पत्र आदि (गत पांच वर्षों का)

अंक 60

क्र०स०	वर्ष	उपलब्धियां/प्रमाण पत्र	स्तर	प्रदत्त अंक
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			
योग				

नोट :- (1) 5 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक 60 है।

(2) यदि एक ही छात्र द्वारा एक ही वर्ष में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां/प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त किये जाते हैं, तो उसे उच्चतम स्तर पर प्राप्त उपलब्धि/प्रमाणपत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जाएंगे।

(7) ग्राऊण्ड एसेसमेंट

अंक 10

ग्राउण्ड एसेसमेंट में प्रदत्त अंक	
-----------------------------------	--

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7)

.....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

परिशिष्ट-2

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

शिक्षक का नाम : ..... पद : .....

विद्यालय : .....

क्र०स०	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	पाँच वर्षों में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	1	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव।	1	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	1	
4	विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता	1	
5	पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन	1	
6	मानवीय संबंधों की स्थापना, सामाजिक कार्यों में संलग्नता।	1	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	1	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विती	1	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	1	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	1	
	योग :-	10	

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर।

द्वितीय सदस्य

प्रथम सदस्य

अध्यक्ष

## राष्ट्र/राज्य स्तरीय सम्मान हेतु शिक्षक की सिफारिश करने के लिए प्रपत्र

फोटो यहा  
चिपकायें

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र का भाग "क" "ख" और "ग" शिक्षक की डायरी, निरीक्षण रिपोर्ट, संस्था प्रधान द्वारा संधारित किए गए रिकार्ड, स्कूल के परीक्षा परिणाम, शिक्षक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, सेवा पुस्तिका आदि स्रोतों से भरे जाए। भाग "घ" और "ड" क्रमशः जिला समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष तथा इस प्रयोग हेतु नियुक्त समिति द्वारा भरे जाए।

### भाग - "क"

#### (शिक्षक का विवरण)

- (1) नाम : .....
- (2) वैवाहिक स्थिति के साथ स्त्री/पुरुष : .....
- (3) पद नाम, स्कूल का पूर्ण पता : .....
- (पिन कोड सहित)
- (4) नियुक्ति स्थान का आवासीय पूर्ण पता : .....
- (पिन कोड सहित)
- (5) पूर्ण स्थाई पता : .....
- (पिन कोड, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर यदि हो तो)
- (6) स्कूल का स्तर : .....
- (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/  
उच्च माध्यमिक/अन्य)
- (7) जिला : .....
- (8) राज्य : .....
- (9) जन्म तिथि : .....
- (10) वर्तमान आयु : .....

- (11) सेवानिवृत्ति तिथि : .....
- (12) यदि सेवानिवृत्ति के बाद सेवा वृद्धि की गई हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति का उल्लेख कर प्रति प्रलेख संलग्न करें
- (13) शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तिथि सहित कुल सेवा :
  - कुल सेवा.....वर्ष.....माह
  - शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तिथि .....

### सेवा रिकार्ड

संस्था का नाम	स्तर-प्राथमिक/माध्यमिक आदि	प्रबन्धन सरकारी/सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त	कुल दाखिला	सेवा की अवधि दिनांक महीना एवं वर्ष सहित	पढाये गये विषय	पढाई गई कक्षाएं	सार्वजनिक या वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम	पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### (14) कुल अनुभव

प्रकार	अवधि		कुल अनुभव		
	.....से	.....तक	वर्ष	माह	दिन
शिक्षण					
प्रशासनिक					
अन्य					
कुल					

### भाग - 'ख' (प्रथम)

- (15) प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए तथा कक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ? स्कूल और जिले के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों के दाखिला/स्कूल में बनाये रखने की प्रतिशतता संबंधी आकड़े दें ताकि प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई प्रगति को दर्शाया जा सके।
- (16) माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में विगत पाँच वर्षों में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में कक्षा छोड़ देने वालों की क्या दर रही ? उसे रोकने के लिए शिक्षक ने क्या कदम उठाए ?
- (17) बोर्ड परीक्षा में शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे हैं ? विगत पाँच वर्षों के दौरान शिक्षक के कक्षा/विषय/विद्यालय में उत्तीर्ण होने वालों और प्रथम श्रेणी पाने वालों की प्रतिशतता दें।

- (18) क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया है ? यदि हां तो विवरण दें।
- (19) शिक्षक के मामले में विगत पांच वर्षों के दौरान कक्षा/स्कूल में अनुशासनहीनता के मामले, यदि कोई हो, संख्या बताएं।
- (20) क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू किया है ? विवरण दें।
- (21) निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिए :
- क्या वे प्राईवेट शिक्षण (ट्यूशन/कोचिंग) देते/देती है ?
  - क्या वे राजनैतिक/ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों में सम्मिलित होते/होती है ?
  - क्या वे शिकायत करने और कानूनी पचड़े में पड़ने के आदि है ?
  - क्या वे सम्बन्धित हैं ?
- ध्यातव्य : सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सूचना को 75 प्रतिशत अधिमानता दी जानी चाहिए।

### (द्वितीय)

- (22) क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? संक्षिप्त विवरण दें।
- (23) कक्षा के शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार क्या है ?
- (24) क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
- (25) क्या शिक्षक ने किसी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है ? यदि हां तो विगत पांच वर्षों का विवरण दें।
- (26) क्या शिक्षक स्कूलों में सह-पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करने में सक्रिय रुचि लेते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
- (27) क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्यपुस्तक आदि लिखी हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
- (28) क्या विगत दस वर्षों के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता, पुरस्कार या इनाम मिला है ? यदि हां तो विवरण दें।
- (29) ऊपर अनुलिखित कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि

भाग - 'ग'

(अपने वरिष्ठ शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक के बारे में टिप्पणी)



- (30) क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का सम्मान है ?
- (31) क्या वे विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हैं ?
- (32) क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाए रखते हैं ?
- (33) क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर माताओं/पिताओं द्वारा उनको अच्छा सम्मान मिलता है ?
- (34) शिक्षक अभिभावक परिषद के कार्यकलाप आदि, यदि कोई हों, में शिक्षक की क्या सहभागिता है ?
- (35) संस्था प्रधान द्वारा समग्र मूल्यांकन :
- (36) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र मूल्यांकन :

हस्ताक्षर मय मोहर  
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

भाग – 'घ'

जिला समिति की सिफारिश

चतुर्थ सदस्य	तृतीय सदस्य	द्वितीय सदस्य	प्रथम सदस्य	हस्ताक्षर मय मोहर अध्यक्ष, जिला समिति
--------------	-------------	---------------	-------------	---

भाग – 'ड'

राज्य समिति की सिफारिश

द्वितीय सदस्य	प्रथम सदस्य	हस्ताक्षर मय मोहर अध्यक्ष राज्य समिति
---------------	-------------	---







परिशिष्ट-5

शिक्षक का शैक्षिक रिकार्ड

शिक्षक का नाम ..... पद .....

विद्यालय .....

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	श्रेणी	विशेष योग्यता वाले विषय का नाम (75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्तांक)
माध्यमिक				
उच्च माध्यमिक				
स्नातक( )				
स्नातकोत्तर( )				
प्रशैक्षिक				
1.बी.एड				
2.एस.टी.सी.				
3.डी.पी.एड.				
4.बी.पी.एड.				
5.सी.पी.एड.				
6.शिक्षाशास्त्री				
अन्य				

- नोट :- (1) प्रत्येक शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी है।  
(2) स्नातकोत्तर उपाधि एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण की हो तो सब के नाम अलग-अलग इंगित करें।

हस्ताक्षर मय मोहर  
नियन्त्रण अधिकारी





परिशिष्ट-7

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती ..... पद .....

जन्म तिथि .....विद्यालय .....

के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि : -

- (1) इनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में न तो चली है और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।
- (2) इनको पूर्व में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।
- (3) इनके द्वारा जन सहयोग से कराये गये कार्यों के लिये पूर्व में किसी अन्य शिक्षक को सम्मानित नहीं किया गया है।
- (4) इनके प्रस्ताव के साथ वांछित क्रमानुसार प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जांच भी स्वयं द्वारा कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर  
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)



परिशिष्ट-8

गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सम्बन्धी विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही  
सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

जन्म तिथि (शब्दों में) ..... पद .....

विद्यालय .....

दिनांक ..... से लगातार इस विद्यालय में कार्यरत हैं। इनके विरुद्ध  
किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में न तो चली है और  
न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर



## परिशिष्ट-9

गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

जन्म तिथि (शब्दों में) ..... पद .....

विद्यालय ..... में दिनांक .....

से लगातार कार्यरत हैं। गत 5 वर्षों की अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार से रहा है :

क्र. सं.	वर्ष	स्केल		
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
1	2010-2011			
2	2011-2012			
3	2012-2013			
4	2013-2014			
5	2014-2015			

नोट :- संस्था सचिव द्वारा "स्केल" के अन्तर्गत किसी एक रेटिंग के कॉलम में लघु हस्ताक्षर किये जाने हैं।

संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर



परिशिष्ट-10

छात्र/छात्राओं की खेलकूद उपलब्धियाँ

(शारीरिक शिक्षकों के लिए)

सत्र .....


शारीरिक शिक्षक का नाम : ..... पद : .....

विद्यालय : .....

क्र०स०	खेल प्रवृत्ति का नाम	संभागी छात्र संख्या	स्तर राष्ट्र/राज्य/जिला	प्रतियोगिता स्थल

हस्ताक्षर मय मोहर  
संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी

नोट : गत 5 सत्रों की खेलकूद उपलब्धि का विवरण अलग-अलग सत्रवार 5 परिशिष्टों में संलग्न करना है।



परिशिष्ट-11


जन-सहयोग का प्रमाण-पत्र

शिक्षक का नाम :- ..... पद :- ..... विद्यालय/संस्था का नाम :- .....

सत्र	भामाशाह का नाम एवं पता	विद्यालय/संस्था का नाम जहा शिक्षक के माध्यम से जनसहयोग उपलब्ध कराया गया।	निर्माण/सामग्री /नकद आदि मे से कराये गये कार्यों का विवरण	दानदाता द्वारा प्रदत्त राशि
2010-2011				
2011-2012				
2012-2013				
2013-2014				
2014-2015				

हस्ता० मयमोहर  
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)

नोट : राशि के लिए दानदाता का प्रमाण पत्र एवं निर्माण कार्य के लिए अभियन्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करना है तथा संस्था प्रधान के उस पर प्रतिहस्ताक्षर मय नाम, पद, मोहर एवं दिनांक सहित अंकित हों।






परिशिष्ट-12

विशेष शिक्षा में योगदान

क्र० स०	वर्ष	प्रयास का विवरण	उपलब्धि (संख्यात्मक वृद्धि/राशि सहयोग/उपकरण संख्या/प्रशिक्षण/प्रचार/ आयोजन का विवरण
1	2010-2011		
2	2011-2012		
3	2012-2013		
4	2013-2014		
5	2014-2015		

हस्ताक्षर मय मोहर  
जिला शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी

नोट : प्रयास के समर्थन में प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। ("सूक्ष्म अंक योजना के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार जो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित हों")

  
/